न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 – 1443/आ0 नि0 को0

दिनांक- 11 नवम्बर'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

विषय :- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोजन (मार्गदर्शिका सहित) तथा अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

विगत वर्ष-2018-19 में मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं सिवान में चलन्त न्यायालय (लोक अदालतें) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने पुन: बिहार के सभी जिलों में जिला स्तर पर एक-एक चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक करने का निर्णय लिया, जिसके आलोक में नवादा, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया, बक्सर, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, अरवल, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, अररिया, शेखपुरा एवं नालन्दा (बिहारशरीफ) में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-1192/आ0नि0को0 दि0-01.11.2019 एवं 581/ आ0नि0को0 दि0-28.02.2020 जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय दिव्यांगजन समूह के गठन का निर्देश-सह-मार्गदर्शिका दिया गया है, का संदर्भ देते हुए उल्लेख करना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) दिव्यागजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रवृत अधिनियम है। अधिनियम,2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तर दिव्यांगता समिति के गठन का प्रावधान है तथा इससे संबद्ध बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 (आगे से नियमावली,2017) के अध्याय-VIII, कंडिका-22 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत प्रावधानित जिला स्तरीय समिति के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दिनांक-25.04.2020 को राज्य स्तरीय ऑनलाईन लोक अदालत तथा अग्रेतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत के दौरान विविध शिकायतों की सुनवाई की गई एवं मामलों के विषय में सम्बन्धित प्रशासनिक/पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में निदेश प्रदान किये गये।

अग्रेतर कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण की स्थिति में कुछ सुधार होने पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 के सम्बन्ध में उपरी वर्णित कार्यक्रम अनुरूप बाढ़ अनुमण्डल एवं अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों, हिलसा अनुमण्डल एवं अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों, जिला-समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी प्रखण्ड, समस्तीपुर सदर, पुपरी एवं बेलसंड अनुमण्डल तथा इन अनुमण्डलों के सभी प्रखण्डों में गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व विधानसभा चुनाव-2020 के दौरान दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने का कार्य किया जा चुका है।

कृ0पृ0उ0............

उक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दि0-25.11.2020 से 27.11.2020** तक शेखपुरा जिला में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई का आयोजन किया जाना है, जिससे सम्बन्धित कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

राज्य आयुक्त नि:शक्तता के कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	25/11/2020 (बुधवार)	09:00 AM बजे से 11:00 बजे AM तक	बरबीघा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		11:00 बजे AM	शेखपुरा प्रखण्ड के लिए प्रस्थान		
		11:30 AM बजे से 01:30 बजे PM तक	शेखपुरा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		01:30 बजे PM	भोजनावकाश		
		02:00 बजे PM	अरियारी प्रखण्ड के लिए प्रस्थान		
		2:30 PM बजे से 4:00 बजे PM तक	अरियारी प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
2.	26/11/2020 (गुरूवार)	09:00 AM बजे से 10:00 बजे AM तक	चेवाड़ा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		10:00 बजे PM	घटकुसुम्भा प्रखण्ड के लिए प्रस्थान		
		10:30 AM बजे से 11:30 बजे AM तक	घटकुसुम्भा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		11:30 बजे AM	शेखोपुर सराय प्रखण्ड के लिए प्रस्थान		
		12:00 PM बजे से 01:30 बजे PM तक	शेखोपुर सराय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		01:30 बजे PM	भोजनावकाश		
		2:00 PM बजे से 4:00 बजे PM तक	शेखपुरा अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	बुनियाद केन्द्र	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
3.	27/11/2020 (शुक्रवार)	09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- (1) उप विकास आयुक्त (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (3) उप समाहर्त्ता, प्रभारी बैंकिंग (4) उप पुलिस अधीक्षक (5) अपर समाहर्त्ता (6) अनुमण्डल पदाधिकारी (7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (8) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (9) श्रम अधीक्षक (10) उप समाहर्त्ता, जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकारण (11) जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी (12) जिला पशुपालन पदाधिकारी (13) डी0आर0डी0ए0 (14) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (15) जिला नियोजन पदाधिकारी		उप विकास आयुक्त/ अपर जिलाधिकारी/ उप समाहर्ता

			(16) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल (17) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) (18) जिला कल्याण पदाधिकारी (19) जिला शिक्षा पदाधिकारी (20) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (21) जिला आपूर्ति पदाधिकारी (22) जिला परिवहन पदाधिकारी (23) जिला अभियंता, जिला परिषद (24) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (25) जिला कृषि पदाधिकारी (26) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी (27) जिला खेल-कूद पदाधिकारी (28) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/ अनु0लो0शि0 निवा0 पदा0 (29) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (30) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (31) निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (32) कारा अधीक्षक (33) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (34) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (35) जिला पंचायती राज पदाधिकारी (36) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (37) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक (38) जिला प्रबंधक, "जीविका" (39) जिला प्रबंधक "बुनियाद केन्द्र" (40) जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र (Banking-CSP) (41) जिला हेड, बसुधा केन्द्र (Comman Service Centre-CSC) (42) जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) (43) जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास		
4.	27/11/2020 (शुक्रवार)	11:00 AM बजे से 12:00 PM बजे तक	अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के सभी थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0)/ विभिन्न पदाधिकारी के साथ बैठक	पुलिस सभागार	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी सम्बन्धित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
		12:00 PM बजे से 01:00 PM बजे तक	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग सस्थान एव उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी/नालन्दा युनिवर्सिटी के विभिन्न पदाधिकारीगण (2) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला स्थिति सभी महाविद्यालय (3) सभी आई0टी0आई0 के प्राचार्य (4) प्रधानाचार्य, पोलेटेकनिक कॉलेज (5) डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र)	युनिवर्सिटी सभागार	उप विकास आयुक्त
		01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता (एल0डी0एम0 बैंकिंग) (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक	समाहरणालय सभागार	उप समाहर्त्ता, प्रभारी (एल0डी0एम0 बैंकिंग)
		02:00 PM बजे	भोजनावकाश		
		02:30 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण उपस्थिति :- (1) स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक (2) जिला उदयोग पदाधिकारी (3) नगर आयुक्त/नगर परिषद एवं सदर अनुमण्डलीय पदाधिकारी	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल इत्यादि जगहों पर	नगर निगम/नगर परिषद/अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी (E.O.)/जिला परिषद/भवन निर्माण/ जिला अधीक्षक

समीक्षात्मक बैठक में निम्न विभागों/कार्यालयों/निदेशालयों के पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय तथा चलन्त न्यायालय में भी उपस्थित रहने का निदेश दिया जाए।

1. **उप विकास आयुक्त:-**इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में नि:शक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराएँ।
2. **अपर समाहर्त्ता:-**नि:शक्तजनों को की गई भूमि बन्दोवस्ती/वितरण लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
3. सभी **"अनुमण्डल पदाधिकारी"** अपने अनुमण्डल के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी किये गये है एवं आयोजित चलन्त न्यायालय में समीक्षा बैठक एवं दिव्यांगजनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई के अभिलेख के साथ (तीन वर्षो) निश्चित रूप से उक्त न्यायालय में उपस्थित हो तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
4. **असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी:-**अपने साथ डी0पी0एम0 (राज्य स्वास्थ्य समिति), जिला अस्पताल पबंधक एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण इंचार्ज को भी उपस्थिति रहने हेतु निदेशित किया जाय।

कृ0पृ030............

(क) विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची उपलब्ध करायें।
(ख) समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखण्ड कार्यालय में नि:शक्तजनों को आवश्यकतनुसार नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में चलंत मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित कराऐंगें।
(ग) सदर अस्पताल का निरीक्षण - नि:शक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का सदर अस्पताल में आयुक्त महोदय का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
(ग) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।
(घ) सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कराऐंगे।

5. **उप पुलिस अधीक्षक:**-विगत तीन वर्षो तक का दिव्यांगजन को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से सम्बन्धित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

6. **श्रम अधीक्षक:**-जिले में अवस्थित कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

7. **उप समाहर्त्ता, जिला आपदा प्रबंधन/प्राधिकरण:**-जिले में आपदा के समय दिव्यांगजनों को क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा कितने दिव्यांगजनों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत प्रदान की गई है, से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

8. **जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी:**- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

9. **जिला पशुपालन पदाधिकारी:**-विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

10. **डी0आर0डी0ए0:**-विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

11. **जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी :-**
जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, उनमें दिव्यांगों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

12. **जिला नियोजन पदाधिकारी :-**
जिले में बेरोजगारों द्वारा जो इनराल्मेन्ट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है तथा कितने को रोजगार मुहैय्या कराया गया है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

13. **कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/पथ निर्माण :-**
(क) रैम्प्स निर्माण, लिफ्ट, टायलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।
(ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free enviornment) आदि।
सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।
(ग) सड़को पर जेब्रा क्रॉसिंग चिन्हित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।

14. **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्वशिक्षा अभियान):**-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची प्रखण्डवार एवं सभी कार्यरत संसाधन शिक्षकों का लिस्ट एवं स्कूलवार दिव्यांगजनों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें। साथ हीं जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में अनुमण्डल एवं जिला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए मॉडल समावेशी शिक्षा की सूची, स्कूल का नाम, कार्यरत शिक्षक व विशेष शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक उपलब्ध संसाधनों की सूची भी उपलब्ध करायें।

15. **जिला कल्याण पदाधिकारी:**-प्रखण्डवार विकलांग छात्रवृत्ति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।

16. **जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक :-**
(क) शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यार्थियों की प्रखण्डवार रिक्ति एवं नियुक्ति; स्कूल भवनों में रैम्प, छात्रवृत्ति, नामांकन संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।
(ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विद्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा/नि:शुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना/नि:शक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता/वृतिका युक्त प्रशिक्षण/नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन/सभी शिक्षण संस्थाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध करायें।
(ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालयों एवं महाविद्यायलों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची।
(घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।

कृ0पृ030............

17. **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :-**
   (क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/नि:शक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, अनियोजन भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में नि:शक्तजनों की स्थिति, UDID Card से लाभान्वित नि:शक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विद्यालय, बालगृहों/आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।
18. **जिला आपूर्ति पदाधिकारी :-**
   (क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण बिक्रेताओं की संख्या में नि:शक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
   (ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित नि:शक्तजनों की संख्या।
19. **जिला परिवहन पदाधिकारी:-**परिवहन के मामले में नि:शक्तजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी गई है एवं भविष्य में क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। (एम०भी०आई० को भी मीटिंग में साथ लायें)
20. **जिला अभियंता, जिला परिषद:-**आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में नि:शक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं एवं जिले में दिव्यांगजन के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना।
21. **जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी:-**नि:शक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराऐं।
22. **जिला कृषि पदाधिकारी:-**जिले में खाद्य, विज आदि वितरण में दिव्यांगजनों के भागीदारी के सम्बन्ध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
23. **जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी :-** दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
24. **जिला खेल-कूद पदाधिकारी:-**जिला में दिव्यांगों के खेल-कूद से सम्बन्धित आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
25. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी :-** पिछले दो वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्ट्रर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
26. **नगर/परिषद कार्यालय:-**नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि एक नोडल पदाधिकारी को नामित कर समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया जाए एवं तीन वर्षो का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं एवं जिले में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराऐं।
27. **जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण:-**पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
28. **जिला ग्रामीण विकास :-** पिछले तीन वर्षो में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
29. **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस):-**पिछले तीन वर्षो में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम का व्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी०डी०पी०ओ०) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराऐं।
30. **जिला विधिक सेवा प्रधिकार:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन दिनों का समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा भोलिन्टयर की सूची भी उपलब्ध कराई जाए तथा पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगों के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन दिया जाए।
31. **कारा अधीक्षक:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन कारा गृह में बन्द दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
32. **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

क्र0प्र030............

33. **जिला भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पदाधिकारीः**-आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
34. **प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यो हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
35. **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाईः**-आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए। बाल गृह/आश्रय गृहों में रह रहे दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध कराऐं।
36. **जिला पंचायती राज पदाधिकारीः**-आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
37. सभी **''प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी''** अपने प्रखण्ड के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी आप नामित किये गये है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रखण्ड स्तर पर दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराएँ तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
38. **जिला प्रबंधक ''जीविका''**:-जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
39. **जिला प्रबंधक ''बुनियाद''**:- जिला में बुनियाद द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
40. जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र (**Banking-CSP**):-आपके द्वारा जिले में अबतक कितने दिव्यांगता प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों का डाटा UDID पोर्टल पर Online भरा गया है तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा UDID कार्ड हेतु Online आवेदन भरा गया है, से सम्बन्धित सूची उपलब्ध कराएँ।
41. जिला हेड, बसुधा केन्द्र (**Comman Service Centre-CSC**):-जिला में बसुधा केन्द्र द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
42. जिला समन्यवक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना):-जिला में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
43. जिला समन्यवक प्रधानमंत्री आवासः-जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

प्रथम दिन

25/11/2020 (बुधवार)	09:00 AM बजे से 11:00 बजे AM तक	शेखपुरा	बरबीघा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक
	11:30 AM बजे से 01:30 बजे PM तक		शेखपुरा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक
	2:30 PM बजे से 4:00 बजे PM तक		अरियारी प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक

दृवितीय दिन

26/11/2020 (गुरूवार)	09:00 AM बजे से 10:00 बजे AM तक	शेखपुरा	चेवाड़ा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक
	10:30 AM बजे से 11:30 बजे AM तक		घटकुसुम्भा प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक
	12:00 PM बजे से 01:30 बजे PM तक		शेखोपुर सराय प्रखण्ड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक
	02:00 PM बजे से 04:00 बजे PM तक		शेखपुरा अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डो में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक

क्र0पृ030............

तृतीय दिन

27/11/2020 (शुक्रवार)	09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक	शेखपुरा	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
	11:00 AM बजे से 12:00 PM बजे तक		अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एव जिले के सभी थाना प्रभारी (SHO)
	12:00 PM बजे से 01:00 PM बजे तक		विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक।
	01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक		लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक।
	02:00 PM बजे		भोजनावकाश
	02:30 PM बजे से 03:00 PM बजे तक		रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण

कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-52 (पूर्व अधिनियम के तहत) तथा अधिनियम की धारा-51 के तहत जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी, संस्थाओं गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच संवाद किया जाना है। निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कराने की कृपा की जाए :-

(1) नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद
(2) जिला के सभी प्रखण्डों के प्रमुख
(3) जिला के प्रमुख संस्थाएँ, समाजसेवी, प्रमुख डॉक्टर, राष्ट्रीय न्यास के अभिभावकगण
(4) सभी सिविल सोसाइटी गैरसरकारी एवं सरकारी संगठन के अध्यक्ष या सदस्य
(5) दिव्यांगजन का संगठन एवं विभिन्न दिव्यांगता से सम्बन्धित जिलों के प्रतिनिधि

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

नोट :- **आयोजन से सम्बन्धित खर्च का वहन संबंधित जिला स्तर से किया जाना है।**

2. उक्त के आलोक में कहना है कि आपके विभाग/कार्यालय एवं निदेशालय में दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त नोडल पदाधिकारी को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में प्रतिवेदन के साथ तत्समय भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

3. प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत वर्णित कार्यालयों के सरकारी पदाधिकारी को कृपया समीक्षात्मक बैठक के दौरान उपस्थित रहने की सलाह दी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करने की कृपा की जाए कि प्रत्येक कार्यालय से कम से कम प्रतिनिधि कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने हेतु उपलब्ध है।

4. इस कार्यक्रम को विविध संचार माध्यमों/कार्यालयों यथा जिला सम्पर्क कार्यालयों/प्रखण्ड विकास कार्यालायों/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/समाचार पत्रों/पैम्पलेटों/स्थानीय टेलीविजन माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

5. उक्त आयोजन के दौरान कोविड19 (COVID-19) का संक्रमण रोकने के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निदेशित सभी बिन्दुओं का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करेंगे।

6. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा (स्कॉट एवं अंगरक्षक) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। उक्त कार्यक्रम के दौरान दिनांक-25.11.2020 से 27.11.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के रात्रि विश्राम के लिए शेखपुरा जिला के परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने हेतु भी अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
11.11.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग (बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से को-ऑर्डिनेटर नामित करने की कृपा करें।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-सी0ई0ओ0-सह-राज्य मिशन निदेशक, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जीविका), विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से को-ऑर्डिनेटर नामित करने की कृपा करें।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-शेखपुरा जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक-25.11.2020, 26.11.2020 एवं 27.11.2020 तक प्रखण्ड स्तरीय बैठक में आवागमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने की कृपा की जाए।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-अनुमण्डलाधिकारी, शेखपुरा को सभी प्रखण्डों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य आयुक्त नि:शक्तता के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित आयोजित समीक्षा बैठक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 – 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, शेखपुरा को निर्देशित किया जाता है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक-25.11.2020, 26.11.2020 एवं 27.11.2020 तक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक का प्रचार-प्रसार एवं समीक्षा बैठक में सहयोग प्रदान करने तथा आयोजित कार्यक्रम का प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही यह भी सूचित करना है कि सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित तथा कार्यक्रम के दौरान ठहरने हेतु जिला परिसदन के दो कमरा भी आरक्षित करने की कृपा की जाय।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 – 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 – 1443/आ० नि० को० दिनांक-11 नवम्बर'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।